# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राकेश बनाम रमेश

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 26/11/2025 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी मौखिक बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो। | |
| 01/12/2025 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज राकेश ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थीगण की एकपक्षीय बहस समायत करते हुए आदेश दिनांक 20/10/2022 पारित करते हुए अप्रार्थी/रेस्पो. को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02/08/2023 पारित करते हुए पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 20/10/2022 को निष्प्रभावी करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस सुनी गयी।<br><br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को उनकी खाते की आराजीयात के स्वतंत्र उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित्त नही समझा जाता है, ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु रेस्पो. के पक्ष में जाहिर होता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02/08/2023 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। | |